न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/107

सोहन लाल आत्मज श्री रामरख जाति विश्नोई निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दीगोद में साबिक खसरा नम्बर 1458 की रकबा 07 बीघा भूमि स्थित है । वादी के पिता रामरख जी ने उक्त भूमि में से डेढ बीघा भूमि को नियमन कराने हेतु आवेदन किया था तथा उसकी 9000 वर्गफीट भूमि में मकान, बाडा आदि बना रखा था जिस पर तहसीलदार दीगोद ने रिपोर्ट प्राप्त कर नियमन करने का सनद दिनांक 23.08.1972 को जारी कर दिया । उक्त भूमि में सेटलमेंट कार्य हो गया और बाद सेटलमेंट डेढ बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.19 हैक्अर कायम किया गया । बाद केचमेंट नये खसरा नम्बर 2120/1 की रकबा 0.18 हैक्टर कायम किया गया । उक्त सनद का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हो सका इस कारण उक्त भूमि बाद केचमेंट चारागाह के

खाते दर्ज कर दी जो गलत है । खसरा नम्बर 2120/1 की 9000 वर्गफीट भूमि का वादी के पिता एकमात्र मालिक व काबिज रहे उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है जिसमें वादी के पक्के मकानात बने हुए हैं तथा मवेशियों के लिए बाडा बना हुआ है । उक्त भूमि कभी भी चारागाह की भूमि नहीं रही है । वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं उसके पिता का पिछले 50 वर्षों से कब्जा चले आने के कारण व पूर्व में उक्त भूमि नियमन कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के तहत व राजस्थान सरकार के आदेश संख्या क्रम 6 (7) राज–4/77/15 दिनांक 16.10.2021 के आदेश के क्रम में वादी अपने नाम नियमन कराने व उक्त भूमि वादी अपने नाम खाते दर्ज कराने का एवं उक्त भूमि चारागाह के खाते से हटाने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम दीगोद की वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 2120/1 की रकबा 0.18 हैक्टर में से 9000 वर्गफीट भूमि वादी के खाते दर्ज करने व वादी अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी उक्त भूमि का नियमन नियमानुसार वादी के नाम कर दे तथा उक्त भूमि को चारागाह के खाते से कम कर वादी के खाते में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था फिर भी वाद खारिज कर दिया । उक्त आराजी पर वादी अपीलान्ट के पक्के मकान व बाडा बना हुआ है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद कोराना महामारी के कारण लॉक डाउन लग गया था । इसलिए अपीलान्ट समय पर अपील पेश नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश कर दी थी जिसको नजरअन्दाज कर वाद खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1458 की रकबा 07 बीघा भूमि में वादी ने डेढ बीघा भूमि को नियमन कराने हेतु आवेदन किया था तथा उसकी 9000 वर्गफीट भूमि में मकान, बाडे आदि बने हुए हैं जिस पर तहसीलदार ने रिपोर्ट प्राप्त कर 9000 वर्गफीट भूमि को नियमन करने की सनद दिनांक 23.08.1972 को जारी कर दी और प्रीमियम राशि 130/– रूपये की रकम जमा कर ली थी । उक्त भूमि में सेटलमेंट हो गया और उसके केचमेंट होने पर उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2120/1 की रकबा 0.18 हैक्टर कायम किये गये । उक्त सनद का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हो सका इस कारण उक्त भूमि बाद केचमेंट चारागाह दर्ज कर दी जो गलत है । वादी व उनके पिता का उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि नियमन कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के तहत व राजस्थान सरकार के आदेश संख्या कम 6 (7) राज–4/77/15 दिनांक 16.10.2021 के आदेश के कम में वादी अपने नाम नियमन कराने व उक्त भूमि वादी अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी चारागाह दर्ज है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रतिबन्धित है । वादी अपीलान्ट ने अपने वाद एवं अपील में मुख्य रूप से कथन किया है कि "ग्राम दीगोद की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1458 की रकबा 07 बीघा भूमि में वादी ने डेढ बीघा भूमि को नियमन कराने हेतु आवेदन किया था तथा उसकी 9000 वर्गफीट भूमि में मकान, बाडे आदि बने हुए हैं जिस पर तहसीलदार ने रिपोर्ट प्राप्त कर 9000 वर्गफीट भूमि को नियमन करने की सनद दिनांक 23.08.1972 को जारी कर दी और प्रीमियम राशि 130/– रूपये की रकम जमा कर ली थी । उक्त भूमि में सेटलमेंट हो गया और उसके केचमेंट होने पर उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2120/1 की रकबा 0.18 हैक्टर कायम किये गये । उक्त सनद का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हो सका इस कारण उक्त भूमि बाद केचमेंट चारागाह दर्ज कर दी जो गलत है ।" वादी अपीलान्ट सनद का अमल दरामद करवाना चाहते हैं तो वे सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोही कर सकते है । वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अंतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 खाता संख्या 852 में खसरा नम्बर 2120/1 रकबा 0.18 हैक्टर भूमि चारागाह दर्ज है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रतिबन्धित हैं । वादी अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसील दीगोद ने 9000 वर्गफीट भूमि को नियमन करने की सनद दिनांक 23.08.1972 को जारी कर दी और प्रीमियम राशि 130/– रूपये की रकम जमा कर ली थी । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी को सर्वप्रथम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से चारागाह अंकन से हटवाना होगा । यदि उन्हें सनद की अमल दरामद करवानी है तो वह समक्ष अधिकारी के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

12. अपील के चरण संख्या 09 में कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत अपने नाम नियमन/आवंटन चाहा गया है । चूँकि भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पात्र भूमिहीन कृषकों को भू–आवंटन किया जाता है । अतः प्रार्थी अपीलान्ट भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। वाद के माध्यम से 1970 के नियमों के तहत आवंटन/नियमन संभव नहीं है ।

13. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021 / 107

सोहन लाल आत्मज श्री रामरख जाति विश्नोई निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 112 / दावा / 2020

सोहन लाल आत्मज श्री रामरख जाति विश्नोई निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.06.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक गोविन्द नामदेव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा